

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उ०प्र०/ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2-/ एडीशनल कमिश्नर
(प्रशिक्षण संस्थान) गोमती नगर / ज्वाइन्ट कमिश्नर,
डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित वार्षिक प्रविष्टियों के अंकित करने की समय सीमा काफी पहले समाप्त हो चुकी है, तथा वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पूर्ण कराये जाने सम्बन्धित परिपत्र भी जारी किया जा चुका है। परन्तु अभी तक वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों की प्रविष्टियाँ मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हुई है।


अंतः:आपसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में आपके व आपके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी अथवा स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में जो भी प्रविष्टियाँ अंकित की जानी है वह समस्त कार्य दिनांक-30-05-2014 तक पूर्ण कर लिया जाये।

दिनांक-05-06-14 तक सभी अधिकारी जिन्हें प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में प्रविष्टि लिखनी है, निम्न प्रारूप में प्रमाण पत्र मुख्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

"मैं------(नाम)----- (पदनाम)प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष 2012-13 में -----पद पर तैनात था तथा -----(संख्या) अधिकारियों का प्रतिवेदक अधिकारी -----(संख्या) अधिकारियों के समीक्षक अधिकारी -----(संख्या)अधिकारियों का स्वीकर्ता अधिकारी था। मेरे द्वारा समस्त अधिकारियों की प्रविष्टियाँ अंकित कर दी गई है। प्रविष्टियों का कोई प्रकरण मेरे स्तर पर शेष नहीं है।"

आप भलीभाँति अवगत है कि निकट भविष्य में होने वाली प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में वर्ष 2012-13 की प्रविष्टियों की आवश्यकता होगी तथा स्वीकर्ता अधिकारी, समीक्षक अधिकारी के रूप में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश व प्रमुख सचिव वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के स्तर से तत्काल प्रविष्टियाँ पूर्ण कराने में भी कुछ समय लगता है। अतः उपरोक्तानुसार दी गई समय सीमा के अन्तर्गत प्रविष्टियाँ / प्रमाण पत्र मुख्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



(विनोद कुमार सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर, (स्थापना) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ।